कार्यालयः मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल

आदेश संख्या/सेवायें अराज0–3ख/स्थानान्तरण/ 142 /2026–27 दिनांक 27 अगस्त 2026।

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1/410684/XXX-2/2026-E-26941 दिनांक 06 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या– 410893/XXXIV-B-1/2026/13(12)/2011 दिनांक 07 जुलाई, 2026 व महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक–सेवा–2/1519–20/स्थानान्तरण/2026–27 दिनांक 10 जुलाई 2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण की सत्र 2026–27 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17(1)(ख) के अर्न्तगत (एक) से (पॉच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों (वेतनमान 21700–69100, लेवल–3) का उसी पद एवं वेतनमान में " अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–04 में अंकित कार्यालय एवं विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है:–

कनिष्ठ सहायक

गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वंय अथवा पति–पत्नी(यथालागू) का गंम्भीर रोगग्रस्त/ विंकलांगता के आधार पर अनुरोध(स्थानान्तरण अधिनियम –2017 की धारा 17(1)(ख)(एक) के अनुसार

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्री हरीश चन्द्र जोशी	रा0बा0इ0का0 पन्तनगर, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ऊधम सिंह नगर	दिव्यांग कार्मिक	
2	श्री अनिल सिंह बिष्ट	जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, पिथौरागढ़	जिला पुस्तकालय पिथौरागढ़	दिव्यांग कार्मिक	

विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यकता, एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा अनुरोध के आधार पर (स्थानान्तरण अधिनियम –2017 की धारा 17(1)(ख)(पॉच) के अनुसार

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	श्रीमती प्रीति पन्त	रा0बा0इ0का0 बग्वालीपोखर, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	रा0इ0का0 चॉफी, भीमताल, नैनीताल	विधवा कार्मिक	
2	श्रीमती लीला सनवाल	रा0इ0का0धौलछीना, अल्मोड़ा	उ0वि0शि0परि0रामनगर नैनीताल	विधवा कार्मिक	
3	श्री सुरेश चन्द्र	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी धारी नैनीताल	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, ऊधम सिंह नगर	वरिष्ठ कार्मिक	

स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी–

01. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगें। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष /कार्यालयाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करेंगें तथा स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन नवीन स्थानान्तरित विद्यालय/कार्यालय से ही आहरित किया जायेगा।
02. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
03. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
04. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा(Jouraney Time) का ही उपभोग कर सकेगें।

भवदीय,

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

पृ0सं0/ सेवायें अराज0–3ख/स्थानान्तरण/ 1488 - 1502 /2026–27 उक्ततिथि।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
03. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
05. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल।
06. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
07. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0/मा0शि0)कुमाऊँ मण्डल।
08. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कुमाऊँ मण्डल
09. वित अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. समस्त खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल।
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्ति करें।**यदि संबन्धित कार्मिक(SIR)कार्य में तैनात हों तो ऐसे कार्मिक को (SIR) कार्य समाप्ति के उपरान्त ही नवीन स्थानान्तरण स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करेंगे।**
13. सम्बन्धित कार्मिक।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरण आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

(गजेन्द्र सिंह सौन)
मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल